No. 2(3)/1/2007-MSME Pol.(Pt.)
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner
(Micro, Small and Medium Enterprises)
'A'-Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan
New Delhi-110011.

Dated: 1 August 2007

Subject: **Filing of Entrepreneurs Memorandum by Medium Enterprises.**

The proviso of Section 8(1) of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006 contains that an industry having an investment in plant and machinery of more than Rs.1.00 crore but not exceeding Rs.10.00 crore which had filed Industrial Entrepreneurs Memorandum with Department of IP&P in pursuance of Notification No. S.O.477(E) dated 25 July 1991 shall file the E.M. with the District Industries Centre concerned within 180 days from the commencement of this Act. However, a number of clarifications are being sought whether such enterprises which have not filed the E.M. within 180 days of the commencement of this Act can be allowed to file E.M.

2. MSMED Act 2006 under Section 31 empowers the Central Government to remove any difficulty that may arise in giving effect to the provisions of this Act by making an order to that effect. However, it may not be necessary to take recourse to the provisions of Section 31 since a closer reading of the proviso to Section 8(1) reveals that there is no bar on the cited enterprises (investment in P&M more than Rs.1.00 crore but not exceeding Rs.10.00 crore, etc.) from filing the said E.M., which they were enjoined to do within 180 days of 2 October 2006. That being the case, such enterprises may be prompted to file these Memoranda at least now. In fact, the State Governments, through the DICs, could be requested to inform such enterprises that they must file such E.Ms. expeditiously. It is worth mentioning here that MSMED Act, 2006 is facilitatory in nature and not regulatory.

3. To summarise the whole issue:

(i) For micro and small enterprises and for medium enterprises rendering service there is no limitation of 180 days from 2 October 2006 for filing of EM. It is voluntary for them and these enterprises can file EM anytime they decide to do.

(ii) The kind of enterprises, mentioned in para 1 of this letter and which could not file the EM within 180 days from 2 October 2006, may be allowed to file EM as they have not been debarred from filing of EM after 180 days in MSMED Act, 2006.

Sinha

(P.K. Sinha)
Deputy Director (MSME Pol.)
Tel.No.011-23061544

To

As per list.

सं 2(3)/1/2007-एमएसएमई नीति (पार्ट)
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
'ए' - विंग, 7वां तल, निर्माण भवन
नई दिल्ली ‍इ 110011

दिनांक: 1 अगस्त 2007

विषय: मध्यम उद्यमों द्वारा उद्यमी ज्ञापन दर्ज करना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के सेक्शन 8(1) में प्रावधान है कि प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाला उद्योग, जिसने दिनांक 25 जुलाई 1991 की अधिसूचना सं एस.ओ.477(ई) के अनुसरण में औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किया हो, इस अधिनियम के आरंभ से 180 दिनों के भीतर संबंधित जिला उद्योग केंद्र में उद्यमी ज्ञापन दाखिल करेगा। तथापि, ऐसे स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं कि जिन उद्यमों ने इस अधिनियम के आरंभ से 180 दिनों के भीतर उद्यमी ज्ञापन दाखिल नहीं किया है, उन्हें उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

2. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के सेक्शन 31 के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी आदेश द्वारा ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने का अधिकार दिया गया है जो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में आ सकती है। हालांकि, सेक्शन 31 के प्रावधानों का आश्रय लेना आवश्यक नहीं भी हो सकता है क्योंकि सेक्शन 8(1) के प्रावधानों का निकट अध्ययन यह बताता है कि उद्धृत उद्यमों (जिनका प्लांट व मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपये तक हो) द्वारा उक्त ज्ञापन दाखिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिन्हें ऐसा 2 अक्टूबर 2006 से 180 दिनों के भीतर करना था। ऐसा मामला होने के कारण, ऐसे उद्यमों को कम से कम अब ऐसा ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वास्तव में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से ऐसे उद्यमों को जल्द से जल्द ऐसे उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के लिए सूचित करें। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006, प्रकृति में मददगार है, विनियामक नहीं।

3. संक्षेप में पूरा मामला निम्नलिखित है:

(i) सूक्ष्म व लघु उद्यमों तथा सेवा प्रदान करने वाले मध्यम उद्यमों के लिए उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने हेतु 2 अक्टूबर 2006 से 180 दिनों की कोई सीमा नहीं है। यह उनके लिए स्वैच्छिक है और ये उद्यम, जब भी वे चाहें, कभी भी उद्यमी ज्ञापन दाखिल कर सकते हैं।

(ii) इस पत्र के पैरा 1 में उल्लिखत उद्यम और जो 2 अक्टूबर 2006 से 180 दिनों के भीतर उद्यमी ज्ञापन दाखिल नहीं कर सके हैं, को ईएम दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में उन्हें 180 दिनों के बाद ईएम दाखिल करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(पी. के. सिन्हा)
उप निदेशक (एमएसएमई नीति)
दूरभाष : 011-23061544

प्रति,
सूची के अनुसार